न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.105 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 157)	18.09.2024	29.07.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र सांवला जाति भील नि.गणेशपुरा, तह.तालेडा
2. कमली पुत्री सांवला जाति भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
3. स्व. बदाम पुत्री सांवला जाति भील नि. गणेशपुरा, तह. तालेडा (मृतक जर्ये कायम मुकाम) :–

3 / 1.भैरूलाल पुत्र बदाम जाति भील नि. गणेशपुरा, तह.तालेडा
3 / 2.सुरेश पुत्र बदाम जाति भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
3 / 3.महेन्द्र पुत्र बदाम जाति भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी सांवल्या को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 86 / 401 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, 86 / 402 रकबा 1.7644 हैक्टेयर, 86 / 403 रकबा 0.5827 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 105/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/157 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 25.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी मौके पर उपस्थित मौतबिरानों से जानकारी लेने पर बताया गया कि उक्त भूमि पर आवंटी व उनके वारिसानों का कब्जा नहीं है एवं उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होना बताया गया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि सांवल्या आ. ऊँकार जाति भील निवासी गणेशपुरा को दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा सं. 86/401 रकबा 4 बीघा, खसरा सं. 86/402 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा सं. 86/403 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 86/401 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा सं. 86/402 रकबा 1.7644 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 86/403 रकबा 0.5827 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आई.एल.आर. एवं नायब तहसीलदार डाबी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है एवं उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सांवल्या आ. ऊँकार जाति भील निवासी गणेशपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 86/401 रकबा 4 बीघा (हाल रकबा 0.6475 हैक्टेयर), खसरा सं. 86/402 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा (हाल रकबा 1.7644 हैक्टेयर) एवं खसरा सं. 86/403 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा (हाल रकबा 0.5827 हैक्टेयर) वाके ग्राम गणेशपुरा दिनांक 29.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी